संख्या: 1 /3440/58-2013-130/2013

प्रेषित,

कैलाश प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 06 दिसम्बर, 2013**

विषय-: अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में माइक्रोइरीगेशन योजना (राज्यांश) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-143/बजट-आयोजनागत-2013-14, दिनांक 25-9-2013, पत्र सं0-165/बजट-आयोजनागत/2013-14, दिनांक 19-11-2013 एवं पत्र सं0-197/बजट आयोजनागत/2013-14, दिनांक 29-11-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत भारत सरकार की माइक्रो-इरीगेशन योजना के अन्तर्गत 2013-14 के लिए वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28-3-2013 में निहित निर्देशों के अधीन प्रश्नगत योजनान्तर्गत (राज्यांश) के रूप में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-2,25,00 हजार के सापेक्ष 25 प्रतिशत धनराशि रू0-56,25 हजार (रूपये-छप्पन लाख पच्चीस हजार मात्र) अवमुक्त

http://shasanadesh.up.nic.in

की गयी है। उक्त धनराशि के अतिरिक्त रू0-1,68,75 हजार (रूपये-एक करोड़ अड़सठ लाख पचहत्तर हजार) मात्र की और धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	**आय-व्ययक प्राविधान**	**पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
<u>अनुदान सं0-10</u> 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 119-बागबानी तथा वनस्पति की फसलें- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0118-माइक्रो इरीगेशन योजना (के. 80/रा. 20-रा.) 27-सब्सिडी	2,25,00	56,25	1,68,75
योग	**2,25,00**	**56,25**	**1,68,75**

(रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि एकमुश्त नहीं आहरित कर, आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार फेजिंग करते हुए किया जाय तथा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का

http://shasanadesh.up.nic.in

व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28;3;2013 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय केन्द्रीय/राज्यांश के अनुपात में आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(6) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाये।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(8) धनराशि व्यय करने के पूर्व भंडार क्रय नियमों/शासन/भारत सरकार के नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

(9) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत मुख्य वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेग। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो, तो मुख्य वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक एवं सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह के 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेग।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-ई-1/674/दस-2013,

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(कैलाश प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या: 1/3440(1)/58-2013, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
(6) मुख्य वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) संयुक्त सचिव, हार्टीकल्चर, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (हार्टीकल्चर डिवीजन), कृषि भवन, नई दिल्ली।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कैलाश प्रकाश)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in